


उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-9  
संख्या-(320/नौ-9-16-163ज/2010टी0सी0  
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम,2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11,सन् 2011) की धारा 5 की उपधारा (9) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की दिनांक 26.10.2016 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री शिवशंकर सिंह,सदस्य,उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को उक्त बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। उक्त पद के कार्य के लिये श्री सिंह को कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

  
(श्री प्रकाश सिंह)  
सचिव।  
2

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश।
  2. सचिव, मा0मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश।
  3. निजी सचिव,मा0मंत्री,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
  4. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
  5. अध्यक्ष/सदस्यगण,उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन,विकास बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
  6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
  7. श्री शिवशंकर सिंह, सदस्य,उ0प्र0नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, लखनऊ।
  8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
  9. सूचना निदेशक,उत्तर प्रदेश।
  10. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ
  11. समस्त नगर आयुक्त,उत्तर प्रदेश।
  12. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उत्तर प्रदेश।
  13. गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,



(सुधीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।  
2